

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
पर्यटन उत्तर प्रदेश  
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ:: दिनांक 29 जुलाई, 2011

विषय:- विन्ध्य क्षेत्र की कन्सल्टेन्सी के लिये चयनित संस्था को भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-91/8-16 (विन्ध्य परिपथ)/सा0/2011 दिनांक-15.04.2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में विन्ध्य क्षेत्र की कन्सल्टेन्सी के लिये चयनित कन्सल्टेन्ट जे0पी0एस0 एसोसियेट्स, नई दिल्ली को भुगतान हेतु रू0-17.74 (रूपये सत्रह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्धारित मानको/नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का कौषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
5. धनराशि का उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

6. यदि कोई धनराशि बचती है अथवा किन्ही कारणों से उपयोग सम्भव न हो तो उसे तत्काल यथावश्यक राजकोष में जमा कराने/समर्पित करने की कार्यवाही की जाय।

3- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो उनका दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करा दें।

4- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय - व्ययक के अनुदान संख्या - 44 के लेखाशीर्षक - 3452 - आयोजनागत - पर्यटन-80-सामान्य - 800 अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-800/दस/2011 दिनांक- 29 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( मनोज कुमार सिंह )  
सचिव

संख्या-1397(1)/41-2011 तददिनांक::

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, सिविल आडिट, उ0प्र0, सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जे0पी0एस0 एसोसियेट्स, नई-दिल्ली।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6. श्री राजाराम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)

विशेष सचिव